हुक्म		मं
13/2/19	वादी एवं वकील वादी गैर हाजिर। प्रतिवादी तथा वकील वादी को आवाजे दिलवाई कोई हाजिर नहीं आया है अतः दावा अधूरा हाजरी अधूरा पैरवी के ज्वाबित किया जाता है पत्रावली नियमानुसार हेतु हाजिर करावें।	

महायक कलेक्टर एवं कार्यपालक अधिकारी
दूदू (जोबपुर) राज.